रेल इंजन कारखानें के कार्य कलापों की ओर रेल मंत्री का ध्यान ले जाना चाहता हूं। यह कारखाना देश में डीजल रेल इंजनों के निर्माण का एक मात्र कारखाना है। कारखाना निर्माण के समय तत्कालीन रेल मंत्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि इस कारखाने में एक इंजन प्रतिदिन बनेगा और यह सारी दुनिया को इंजन सप्लाई करेगा किन्तु कुछ वर्ष पहले निर्णय लिया गया कि एक वर्ष में 200 इंजन बनेगा। इस वर्ष यहां का लक्ष्य घटा कर 125 कर दिया गया है।

अभी कुछ दिन पहले इस कारखाने में कलकत्ता से तांबे और पीतल के कुछ पुर्जे लगभग 15 लाख रु० के मंगाए थे। पार्सल जब खोला गया तो उसमें बालू और पत्थर मिला। इसके बावजूद भी इसका पूरा भुगतान फर्म को कर दिया गया। जब हल्ला मचा तो एक हरिजन अत्यन्त नीचे के कर्मचारी को जबर्दस्ती मुअत्तल कर मामला रफा-दफा कर दिया गया है। स्पोर्ट कोटे की नियुक्ति में भी धांधली बरती जाती है। स्थानीय किसानों, गरीबों और वास्तविक कामगारों एवं जिनकी जमीनें ली गई हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है। और न वास्तविक खिलाड़ियों की ही नियुक्ति की जाती है। साथ ही अनूसूचित जातियों एवं जनजातियों की पदोन्नति नहीं की जाती है। अस्पताल में छोटे कर्मचारियों को दवा भी नहीं मिलती है।

अत: मैं चाहूंगा कि तुरन्त इन सारे मामलों की एक संसदीय समिति से जांच की जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shrimati Jayanti Patnaik - not present; Shri Bhekhabhai—not present.

(Interruptions)

SHRI AMAR ROYPRADHAN (Cooch Behar) : I am on a point of order. In place of those Members who gave notice under Rule 377 and are not present, some other members should be called. Otherwise, some more quota should be fixed under Rule 377.

MR. DEPUTY-SPEAKER : They will be called at 2 P.M., because they never expected that the calling attention would be postponed. All those members who are not present in the House just now will be called after 2 P.M. Shrimati Geeta Mukherjee. Now I will call only those who are present. The others will be called after 2 P.M.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul) : Yesterday, I gave a notice. I do not know whether it has been admitted or rejected.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are raising a new point. You give notice; you write to the Speaker. You should not raise all these points here because you cannot expect a reply. If it does not come, you please meet the Speaker in his Chamber and discuss with him.

Shrimati Geeta Mukherjee.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You read. Only your statement goes on record.

(iii) Acute water scarcity in Midnapur.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura) : Acute scarcity of water is being felt in large areas of Midnapur district including the areas falling in my constituency such as, Debra, Pingla, Sabang, Keshpur, Panskura, Daspur, Kharagpur rural police station areas, as there was no rain for the last few months.

Water level of the shallow tube-wells has fallen far below. Kangsabati reservoir is alsa reaching near exhaustion level. Standing crop of boro paddy is getting dried up and what is even more dangerous is that acute drinking water shortage has also developed. Actually, severe drought conditions have already arisen and if it does not rain in a few days, the situation will be devastating.

I draw the attention of the Minister for Agriculture and the Minister for Rural Reconstruction towards this drought condition and request them to give adequate financial support to the Government of West Bengal, so that they can cope with the situation.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri N.K. Shejwalkar.

SHRI N.K. SHEJWALKAR (Gwalior) : Before I read the statement I want to make a submission.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Those who are not present will be called again.

SHRI N.K. SHEJWALKAR : There is a reason why they are not present. That is because the Calling Attention has been postponed.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am going to call them again.

SHRI N.K. SHEJWALKAR : That is exactly my objection. Please do not create a precedent. Later on, somebody who is not present when his name is called, will expect to be called again. Please do not create a precedent.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am fixing the time today because of the change in the agenda.

SHRI N.K. SHEJWALKAR : That is what I am saying. Please do not make it a precedent.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have fixed the time as 2 P.M. But this should not be treated as a precedent.

(iv) Need for representation of Madhya Pradesh on Board proposed to be Constituted for considering places for shifting some offices from Delhi.

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 4-5 वर्ष पूर्व दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी एवं सुरक्षा की दृष्टि से यह विचार किया गया कि कुछ कार्यालय ऐसे स्थान पर ले जाए जांय जहां कि विदेशी हमलों का खतरा कम हो, साथ ही दिल्ली से ठीक प्रकार से सम्पर्क बना रहे, स्थान भी ऐसा हो कि जहां जमीन का मूल्य कम हो, एवं अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हों। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए उस समय ग्वालियर ही पूर्ण रूप से उपर्युक्त स्थान समझा गया था, उस की दूरी दिल्ली से केवल 300 किलोमीटर है, रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। टेलीफोन आदि की सीधी लाइन है और साथ ही उपयुक्त आवश्यक सुविधाएं वहां प्राप्त हैं। सीमा से भी पर्याप्त दूरी है और इसी बात की पूरी जांच करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने विशेष धनराशि स्वीकृत करके जांच कराई और प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सम्भवत: इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन को अपना प्रतिवेदन भी दिया। ग्वालियर के संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधिमंडल पूर्व आवास, निर्माण और संसदीय कार्य मंत्री से मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया कि सारी बातों पर विचार होगा। परन्तु पता चला है कि इस सम्बद्ध में जो अब विचार हो रहा है उसमें ग्वालियर का विचार नहीं किया जा रहा है। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विचार करने के लिए यदि कोई बोर्ड बनाया जा रहा है तो उसमें मध्य प्रदेश का भी प्रतिनिधि सम्मिलित हो, यह मेरा निवेदन है। मेरा शासन से आग्रह है कि कोई भी निर्णय मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर ही किया जाय और समस्त संबन्धितों को इस सम्बन्ध में अपनी बात रखने का उचित अवसर दिया जाय।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Dr. Subramaniam Swamy. Not present. Dr. Karan Singh.